न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद–05 / 2017

हरिनंदन राय वगैरह..............................वादीगण

बनाम

रामानन्द राय वगैरह..प्रतिवादीगण

06.02.25 अभिलेख आज आवेदकगण मो0 रामरती देवी, जगमणी देवी, राधेश्याम राय, लालमुनी देवी, सत्यानन्द राय एवं शिकुमारी देवी सभी राम बालक राय के वारिसान की ओर से दिवानी प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 के अंतर्गत दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक–13.092024 तथा उसके तत्संबंधित प्रत्युत्तर दिनांक–04.10.2024 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादीगणों ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद के वादी सं0–3 राम बालक राय की मृत्यु दिनांक–21.09.2023 अपने उपरोक्त उत्तराधिकारीगण को छोड़कर हो गई है, जिनका नाम वादपत्र में वादी सं0–3 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त आवेदनांकित आवेदकों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान करें।

प्रतिवादीगणों ने अपने प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया है कि वादी का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है, क्योंकि वादी ने जानबूझकर प्रतिवादी को तंग व परेशान करने के लिए वादी सं0–3 राम बालक राय की मृत्यु के साल भर वाद प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल किया है जो विलंब एवं परिसीमा अधिनियम के प्रावधान से बाधित है। अतः निवेदन है कि वादी का प्रतिस्थापित आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादी साक्ष्य हेतु लंबित है और वाद में वादी सं0–3 राम बालक राय आवश्यक पक्षकार हैं जिसके विधिक उत्तराधिकारियो को पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है तथा चूँकि प्रतिवादीगण की ओर से मृत्यु होना स्वीकृत ~~तथ्य है,~~ परन्तु आवेदन विलंब से दाखिल किया जाना उपेक्षित है। तद्नुसार आवेदकगण द्वारा दाखिल उपरोक्त प्रतिस्थापन आवेदन मो0 500/– रुपये खर्च के साथ स्वीकृत किया जाता है। **कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदनांकित मृत वादी सं0–3 का नाम विलोपित करते हुए उनके विधिक उत्तराधिकारियों को वादपत्र में पता सहित प्रतिस्थापित करते हुए अगली निश्चित तिथि पर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें।**

वाद दिनांक–21-02-2025 वास्ते साक्ष्य वादी की ओर से प्रस्तुत करने हेतु।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।